मात्र तीन लाइन का कानुन

गरीबी और पुलिस/अदालत का भ्रष्टाचार कम कर सकता है

लेखक : **राहुल चीमनभाई महेता**, बी टेक, कोम्प्युटर सांयस, आई.आई.टी दिल्ही ; एम.एस. रटगर्स युनिवर्सीटी, USA
ओर्कुट : Right to Recall Party -- orkut.com/community.aspx?cmm=21780619
वेबसाइट : rahulmehta.com ; इमेइल : MehtaRahulC@yahoo.com ; फोन : 98251-27780 , 98252-32754
पता: एफ-१/ए, सुपथ-२, जुना वाडज बस स्टेन्ड के पास, आश्रम रोड, अहमदावाद-१३; **समय**: शनि ५-७ ; रविवार १०-२

१ आरटीआई-२ के प्रस्तावित कानुनका ड्राफ्ट

मैंने सिर्फ ३ लाइनके एक कानुननी मांग की है। इस कानुनको मैं आर.टी.आई.-२ **(RTI2)** कहता हुं। इस कानुनको पारित करनेके लिए मात्र प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर चाहिए। **यह प्रस्तावित आर.टी.आई-२ कानुन मात्र ३-४ महीनेमें गरीबी कम कर सकता है, पुलिसमें भ्रष्टाचार नहींवत कर सकता है, शिक्षणकी कीमत कम कर सकता है** और सेना मजबुत कर सकता है। अब क्या यह संभव है की मात्र ३ कलमका कोई कानुन इतने सारे परिवर्तन ला सकता है? और वहभी मात्र ३-४ महीनोंमे? और ऐसा कानुन यदि मुमकिन है, तो आजतक भारतके बुद्धीजीवि ऐसा कानुन क्यों ढूंढ नहीं पाये? और यह तथ्यकी बुद्धीजीवि ऐसा कोई ३-४ कलमोंका कानुन नहीं ढूंढ पाये - क्या यह साबित नहिं करताकी ऐसा रामबाण कानुन हो ही नहीं सकता? यह आपको तय करना है।

मांग किये गये इस RTI2 सरकारी हुकमका **सार** है :-

१. यदि नागरीक चाहेंतो अपनी फरीयाद रु २० देकर कलेक्टरकी कचहरी जाकर प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर रखवा सकेगा।
२. यदि नागरीक चाहेंतो रु ३ देकर फरीयाद पर अपनी हा/ना प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।
३. हा/ना प्रधानमंत्री पर बधनकर्ता नहीं है।

संपुर्ण ड्राफ्ट है :

	अधिकारी	प्रोसीजर
१	कलेक्टर (और उसके क्लार्क)	कोई भी महीला मतदाता, दलित मतदाता, गरीब मतदाता, वृद्ध मतदाता, मझदुर मतदाता, किसान मतदाता या कोइभी नागरीक मतदाता यदि खुद हाजिर होकर यदि अपनी राइट टु इन्फर्मेशननी अर्जी या भ्रष्टाचारके खिलाफ फरीयाद या कोईभी एफीडेवीट देता है तो कोईभी दलील बिना कलेक्टर (या उसका क्लार्क) उस एफीडेवीटको प्रति पेज रु २०/- लेकर सीरीयल नंबर दे कर प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर रखेगा।
२	पटवारी (तलाटी, लेखपाल)	कोई भी महीला मतदाता, दलित मतदाता या कोइभी नागरीक मतदाता यदि कलम-१ द्वारा दी गई अर्जी, फरीयाद या एफीडेवीट पर अपनी हां या ना दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, रु ३ फी दे, तो पटवारी नागरीकका मतदाता नंबर, नाम, उसकी हां या नां कोम्प्युटरनें दर्ज कर लेगा। नागरीककी हा/ना प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर आयेगी। पटवारी नागरीकको रु ३ देकर हा/ना बदलने देगा। गरीबी रेखासे नीचेके नागरीके लिये फी रु १ होगी।
३	-----	यह हा/ना अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, विधायक आदि पर वेंधनकर्ता नहीं होगी। लेकीन यदी भारतके ३७ करोड महीला मतदाता, दलित मतदाता, वृद्ध मतदाता या कोइभी ३७ करोड नागरीक मतदाता कोई एक अर्जी, फरीयाद पर हा दर्ज करें तो प्रधानमंत्री उस फरीयाद, अर्जी पर ध्यान दे सकतें हैं या नहीं दे सकते, या इस्तीफा दे सकतें है। उनका निर्णय अंतीम होगा।

मैं फिरसे कहुंगा, कि इस सरकारी हुकमका **सार** है :-

१. यदि नागरीक चाहेंतो अपनी फरीयाद रु २० देकर कलेक्टरकी कचहरी जाकर प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर रखवा सकेगा।
२. यदि नागरीक चाहेंतो रु ३ देकर फरीयाद पर अपनी हा/ना प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा।
३. हा/ना प्रधानमंत्री पर बधनकर्ता नहीं है।

२ बस, सिर्फ इतनाही?

हां, सिर्फ इतना ही। अब सवाल आता है की क्या मात्र फरीयादें और हा/ना प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर आनें करनेसे गरीबी, पुलिसका भ्रष्टाचार, अदालतों का भाइ-भतीजावाद आदि समस्याओंका हल आ जायेगा? हां। कैसे? इस चार पेजके लेखमें मैंने समझानेका प्रयास कीया है। वांचकके मनमें अनेक प्रश्न आ सकतें है, जिनमेसे अनेकका जवाब http://rahulmehta.com पर दीया है। और वांचकको जवाब न मिले, तो ओर्कुट कोम्युनिटी पर सवाल रखनेकी या फोन करने या ओफिस आनेकी विनती है।.

३ क्या हरेक नागरीकके पास इन्टर्नेट है?

यह सबेसे ज्यादा पुछे जाने वाला गलत सवाल है। मैं इसे गलत सवाल इसलिए कहता हुं क्योंकि आरटीआई-२ में मतदाताके पास इन्टरर्नेट होना कतई आवश्यक नहीं है। उनके पास इन्टरनेट हो या न हो, उन्हें कलेक्टर या पटवारीकी कचहरीमें जाना आवश्यक है। यानी ईस कानुनके लिए इन्टरनेटकी आवश्यकता नहीं है।

४ आरटीआई-२ से गरीबी कैसे कम होगी?

जिस दिन प्रधानमंत्री आरटीआई-२ पर हस्ताक्षर करेंगे, उसी दिन मैं करीब २०० एफीडेवीट प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर दर्ज कराउंगा। उनमेंसे प्रथम एफीडेवीट होगी - एमआरसीएम (MRCM – Mine Royalties for Citizens and Military)। इस सात पेजकी एफीडेवीटका संपुर्ण ड्राफ्ट rahulmehta.com पर दिया है। यह एफीडेवीट एक व्यवस्थाका वर्णन है जिसके द्वारा खनिज रोयाल्टी और सरकारी जमीनका कीराया सीधा नागरीकोंको मिलेगा। यानि मानोकि ओक्टुबर-२००९में खनिज रोयाल्टी और सरकारकी जमीनका किराया रु ३०,००० करोड आया। तो रु १०,००० करोड सेनाके लिये जायेगा और हरेक नागरीकके पोस्ट या स्टेट बैंकके खातेमें रु २०० जमा हो जायेगा। यदि हर नागरीक महीनेमें एक बार केश लेने जाता है तो मात्र १००,००० क्लार्को चाहिए। आज सरकारकी बैंकोके पास ६००,००० क्लार्क है। यानिकी एमआरसीएम व्यवस्थामें कोई बहुत बडा बोज नहीं है।

अब मैं वांचकसे एक प्रश्न पुछता हुं :

१. भारतके नागरीक प्रधानमंत्रीके पास आरटीआई-२ (RTI2) पर हस्ताक्षर करानेमें सफल हुए
२. कीसीने एमआरसीएम (MRCM) की एफीडेवीट प्रधानमंत्रीके वेबसाइट पर रखी
३. अब इस एफीडेवीटके बारेमें भारतके ७२ करोड नागरीका मतदाताओंको जानकारी कैसे मिलेगी, यह मैं बादमें कहुंगा
४. अब आप भारतके ७२ करोड नागरीक मतदाताओंमे से आर्थिक स्थितिसे नीचेके ५५ करोड मतदाताओको ध्यानमें रखना

वांचकको प्रथम सवाल : भारतके कुल ७२ करोड मतदाताओंमें से आर्थिक स्थितिसे नीचेके ५५ करोड मतदाताओमें से कितने लोग यह कहेंगे कि खनिज रोयाल्टी और सरकारी जमीनके किरायेसे जो महीनेका रु २०० - रु ३०० प्रति व्यक्ति आ सकता है, वह मुझे नहीं चाहिये, यह सरकारकी तिजोरीमें ही रहने दो? ऐसा आर्थिक स्थितिसे नीचेके ५५ करोड मतदाताओमें से कितने यह कहेंगे?

मेरा जवाब है कि ५ प्रतिशतसे कम लोग ही ऐसा कहेंगे। यानि आरटीआई-२ पर प्रधानमंत्रीके हस्ताक्षर आनेके बाद एमआरसीएम (MRCM) की एफीडेवीटके बारेमें जानने पर सोचेंगे कि इसमें मेरा रु ३ की फी से ज्यादा क्या नुकसान है? अब मैं आप **वांचकसे द्वितीय सवाल** पुछता हुं : आरटीआई-२ की तीसरी कलम स्पष्ट कहती है की हा-ना प्रधानमंत्री पर बेंधनकर्ता नहीं है। लेकीन यदि ७२ करोड नागरीक मतदाताओमेंसे यदि ५०-५५ करोड मतदाता एमआरसीएम एफीडेवीट पर *हा* दर्ज करतें हैम तो क्या प्रधानमंत्रीकी हिंमत होगीकी वह एमआरसीएम एफीडेवीट पर हस्ताक्षर करनेसे मना करें? यदि प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करनेसे मना करते हैं तो ये ५०-५५ करोड नागरीक, जिन्हें खनिज रोयाल्टी और सरकारी जमीननका किराया चाहिये - ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। इनमेंसे १ प्रतिशतने भी आंदोलन आदि कियातो प्रधानमंत्रीके लिये सरकार चलाना असंभव हो जायेगा। इसलिए प्रधानमंत्री विवश होकर एमआरसीएम (MRCM) पर हस्ताक्षर कर देगे। और १-२ महीनोंमे ही नागरीकोको खनिज रोयाल्टी मिलनी शुरु हो जायेगी और गरीबी कम हो जायेगी। इस तरह यह तीन लाइनका आर टी आई-२ कानुन ३-४ महीनेने में ही गरीबी कम कर देगा।

५ आरटीआई-२ से पुलिसमें भ्रष्टाचार कैसे कम होगा?

वांचकको तीसरा सवाल : अमरीकाकी पुलिसमें भारतकी तुलनामें भ्रष्टाचार कम क्यों है?

इसका एकमात्र कारण है - अमेरीकामें नागरीकोके पास बहुमतिके द्वारा उनके जिल्ला पुलिसके कमिश्नरको नौकरीसे निकालनेकी (यानिकी राइट टु रिकोल , Right to Recall) प्रोसीजर है। यह नौकरीसे निकालनेकी प्रोसीजर (राइट टु रिकोल , Right to Recall) एकमात्र कारण है कि अमरीकामें जिल्ला पुलिस कमिश्नर कम रिश्वत लेता है और यदि उसे पता चले कि स्टाफमे कांस्टेबल या इन्सपेक्टर रिश्वत ले रहें हैं तो जाल बिछाकर, सबुत इकट्ठाकर उन्हें अदालतमे ले जाकर नौकरीसे निकलवा देता है । और यहां भारतमें हम नागरीकोके पास जिल्ला पुलिस कमिश्नरको नौकरीसे निकालनेकी प्रोसीजर नहीं है। और यही कारण है कि कमिश्नर नीचेके अधिकारीयोंको हफ्ता लैंनेको कहता है, कि आधा वह रखे और आधा मिनिस्टरको भेजे। हम अकसर कहेतें है कि इसका कारण है कि अमेरीकामें पुलिसकी तनख्वाह ज्यादा है। यदि यह एकमात्र कारण होतातो लाख-करोड कमा कर रिश्वत लेना बंध कर देते। और क्या तनख्वाह ज्यादा करनेके बाद भ्रष्टाचार कम हो जायेगा? पुलिसकर्मीयोंका वेतन बढाना आवश्यक है, परंतु मात्र वेतन बढाने भ्रष्टाचार नहीं घटेगा।

अब मैं **वांचकको चौथा सवाल** पुछुंगा - क्या पाठ्यपुस्तिका या अखबारके लेख लिखनेवाले बुद्धिजिवीयोंने **यह जानकारी आपको दी थी** कि अमरीकामें नागरीकोके पास जिला पुलिस कमिश्नर, जिला न्यायाधीश, जिला शिक्षण अधिकारी, विधायक और मुख्यमंत्रीको नौकरीसे निकालनेकी प्रोसीजर है? नहीं । क्यों? क्योंकि ये बुद्धिजिवी नहीं चाहतेकी भारतके नागरीकोकों यह जानकारी मिलेकी अमरीकामें राइट टु रिकोल (Right To Recall) है, और राइट टु रिकोलसे अमरीकाने भ्रष्टाचार और अनेक समस्यायें हल कीं हैं। बुद्धिजीवि यह जानकारी इसलिए छिपाना चाहतें हैं क्योंकि भारतके धनिक राइट टु रिकोलके कानुन नहीं चाहते।

अमरीकामें कुछ २००० जिले हैं। करीब-करीब हर जिलेमें नागरीकोंके पास कमिश्नरको निकालनेकी बहुमति आधारित प्रोसीजर है। इस प्रोसीजरमें नागरीकोंको कोर्ट कचहरीके धक्के खानेकी जररुरत नहिं, न ही मुख्यमंत्रीके आगे अर्जी करनी होती है या हाथ फेलाने पडते है। जिलेके नागरीकोकों मात्र बहुमति साबित करना होता, और यदि जिला पुलिस कमिश्नरके खिलाफ बहुमत साबित हो जाये, तो फिर कोई अदालत या मुख्यमंत्री उसे बचा नहीं सकता और उसे नौकरीसे दुर किया जाता है। यह राइट टु रिकोल (Right To Recall) एकमात्र कारण है कि अमरीकामें जिला पुलिस कमिश्नर भ्रष्टाचार कम करता है, और इस राइट टु रिकोलकी कमी एकमात्र वजह है कि भारतमे अधिकतर जिला पुलिस कमिश्नर अपने और मुख्यमंत्रीके कलेक्शन एजन्ट बन गये हैं

अब पुलिसके भष्टाचारकी समस्याका अति सरल उपाय है - भारतके तमाम ७०० जिलोंमें नागरीक पुलिस कमिश्नर बदल सके वैसी प्रोसीजर बनाना। अनेक संभव प्रोसीजरोंमेंसे एक प्रोसीजर - डीपीसी आरपी (DPC-RP : District Police Chief Replacement Procedure) अर्थात जिला पुलिस कमिश्नर बदलनेकी प्रोसीजर - मैनें अपने वेबसाइट पर रखी है। इस ड्राफट पर मुख्यमंत्रीके हस्ताक्षर आने मात्र पर नागरीकोकों दुसरे दिन जिलेके पुलिस कमिश्नरको बहुमति द्वारा नौकरीसे निकालने प्रोसीजर मिल जायेगी। और यह प्रोसीजर आने के मात्र १ महीनेमें पुलिसका भ्रष्टाचार नहींवत हो जायेगा।

अब मैं **वांचकको पांचवा सवाल** पुछुंगा : क्या भारतके मुख्यमंत्री जिला पुलिस कमिश्नर बदलनेकी प्रोसीजर (याने राइट टु रिकोल जिला पुलिस कमिश्नर) पर - खुशीसे बिना नागरीकोके आन्दोलन या दबावके - हस्ताक्षर करेंगे?

मेरा मानना है - नहीं। बिना लोकदबाव या आन्दोलनके भारतका शायदही कोइ मुख्यमंत्री राइट टु रिकोल जिला पुलिस कमिश्नरकी प्रोसीजर पर हस्ताक्षर देगा। क्योकिं यदि बहुमति नागरीकोकें पास कमिश्नरको निकालने प्रोसीजर है, तो जो कमिश्नर महीनेका रु १ करोड इकट्ठा करता है, वह रु १ लाख पार आ जायेगा। और रु १ करोडमें से मुख्यमंत्री, गृहमंत्री या विधायक को जो रु ५० लाख मिलता है, वहभी रु ५०,००० हो जायेगा। इसलिये यदि कोई नागरीक यदि राइट टु रिकोल कमिश्नरकी दर्खास्त लेकर मुख्यमंत्री, विधायाकके पास जाता है तो वे सिर्फ गोल-गोल बातें करेंगे। लेकीन यदि नागरिक प्रधानमत्री या मुख्यमंत्रीको आरटीआई-२ पर हस्ताक्षर करानेके लिये मझबुर कर देतें है, तो उसके बाद अधिकतर नागरीक राइट टु रिकोल कमिश्नर पर अपनी हां दर्ज करा देंगे। और जब करोडो नागरीक हा दर्ज करायेंगे, तो विवश होकर मुख्यमंत्रीको इस प्रोसीजरके ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने पडेंगे। याह हस्ताक्षर आनेके दुसरे दिन नागरीकोंजो कमिश्नरको निकालनेनी प्रोसीजर मिलेगी। और यह राइट टु रिकोल कमिश्नरकी प्रोसीजर आनेके मात्र २ महीनोंमे पुलिसमें भ्रष्टाचार नहींवत हो जायेगा। और उसके मात्र २-३ महीनोंमे और २५० राइट टु रिकोल प्रोसीजरें (जैसे नागरीक प्रधानमंत्री बदल सके, मुख्यमंत्री बदल सके, आरबीआई गवर्नर बदल सके, जिला शिक्षण अधिकारी बदल

सके, जिला सरकारी वकील बदल सके आदि) आ जायेंगी। और इनसे सबसे इन विभागोंमे भ्रष्टाचार नहींवत हो जायेगा। राइट टु रिकोलके आनेसे नागरीकोंको हजारों अधिकारी बदलनेकी झरुरत नहीं पडेगी। अधिकतर अधिकारी समझदार हैं और काम करना जानतें है। इसलिये ५० प्रतिशत अधिकारी राइट टु रिकोल आने के १५ दिनमें काम सुधार देंगे, और जब १-२ प्रतिशतकी नौकरी जायेगी तो अन्य ४८ प्रतिशतभी काम सुधर लेंगे और भ्रष्टाचार कम कर देंगे।

६ यह लेख संपुर्ण नहीं है और फोन पर वार्तालाप आवश्यक है। क्यों?

एक पुरा सबुतकी -- यह ३ लाइनका आरटीआई-२ (RTI2) कानुन गरीबी, पुलिसका भ्रष्टाचार, अदालतोंका सगावाद और अनेक समस्यायें कम करेगा -- करीब ३०० पेज लंबा है और मेरे वेबसाइट http://rahulmehta.com पर अलग अलग लेखोंमें दिया है। लेकीन यह साबिती मात्र लेखोंके द्वारा देना नामुमकिन है, फोन पर वार्तालाप आवश्यक है। क्यों?

गणितज्ञ गणितके मुश्किल से मुश्किल प्रमेय और सिंद्धांत मात्र लेखोंसे समझा सकते हैं। तो फिर मैं यह ३ लाइनका कानुन मात्र लेखोंसे क्यों नहीं समझा सकता? इसके लिए फोन पर या रुबरु वार्तालाप क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि जबभी कोईभी कानुनका प्रस्ताव आता है, तो असरकारकता और विपरीत-असर (साइड-इफेक्ट) पर वास्तविक सवाल आतें हैं। जैसेकी यदि कोइ त्रासवादकी कम करनेके लिए पोटा कानुनका प्रस्ताव रखें, तो कानुनकी असरकारकता पर सवाल आयेंगे कि क्या यह पोटा सचमुच त्रासवाद कम कर पायेगा? और विपरीत-असर परभी सवाल आयेंगे की क्या इस कानुनसे पुलिसेंमे भ्रष्टाचार नहिं बढेगा? गणीतमें ऐसे असरकारकाता पर सवाल नहीं आते - कोई गोलाकारका प्रमेय यदि सही है तो यह सवाल नहीं आयेगा की कितने प्रतिशत गोलाकार पर सही है? और गणितमें विपरीत-असर पर कभी सवाल नहीं आते। जैसेकी तिकोनका सिद्धांत गोलाकारोंके सिद्धांतो पर विपरीत असर नहिं करेगा। अब १००० व्यक्तियोको एक कानुन वताया जाय, तो असरकारकता और विपरीत-असर पर १०० सवाल आयेंगे, और इनका जवाब वांचकको तुरंत न मिले, तो रुचि कम हो जाती है। और तुरंत जवाब देना मात्र फोन पर संभव है, लेखों द्वारा संभव नहीं। आरटीआई-२ की असरकारकता और विपरीत-असर पर अनेक वाजबी सवाल आ सकते है। इनके जवाबके लिये वांचको फोन करकेकी या मेरी ओर्कुट कोम्युनिटी पर प्रश्न रखनेकी विनती है।

७ सार

इस ४ पेजके लेखमें मैंने यह बतानेकी कोशिशकी है कैसे यह मात्र तीन लाइनका आरटीआई-२ का कानुन गरीबी और भ्रष्टाचारभी कम कर सकता है। वांचकके मनमें इस कानुनकी असरकारकता और विपरीत-असर पर सवाल होंगे, जिनके लिए मैं उन्हें मेरा या अन्य राइट टु रिकोल पार्टीके सदस्यका संपर्क करनेके लिए विनती करता हुं। और यदि आप राइट टु रिकोलके कानुनको भारतमें लानेमें हमारी मदद करना चाहतें है, तो आपसे http://petitiononline.com/rti2en पर हस्ताक्षर करनेकी विनती है।

मेरा (लेखकका) परिचय : मैं , राहुल चीमनभाई महेता, गाधीनगर लोकसभा मई-२००९ में उम्मीदवार था। मुझे ७३०० वोट मिले थे और मैं चौथे क्रमांक पर था (श्रीमती मल्लिका साराभाई ९३०० वोट से तीसरे क्रमांक पर थीं)। मेरा चुनाव लडनेका एकमात्र हेतु था - आर.टी.आई-२, एमआरसीएम , राइट टु रिकोल आदि कानुनो के ड्राफ्टोंको नागरीकोकी नझरमें लाना और आर.टी.आई-२ कानुन को पारित कराने के लिये लोकआंदोलन करना। आर.टी.आई-२ कानुनसे मात्र ३-४ महीनोंमे गरीबी कम हो जायेगी, पुलिसमें भ्रष्टाचार नहींवत हो जायेया। इस आर.टी.आई-२ कानुन के प्रचारके लिए मुझे आपका मात्र समय चाहिए।

राइट टु रिकोल ग्रुप